

संशोधित सरलीकृत

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/
मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन
रूपांतरण हेतु आवेदन-पत्र

Name of Govt. Servant

सरकारी सेवक का नाम

Designation

पदनाम

Name of Office/School

कार्यालय/विद्यालय का नाम

Name of Department

विभाग का नाम

मूल्य: 50/-

पेंशन प्रपत्र

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण हेतु आवेदन-पत्र

1. (i) सरकारी सेवक का नाम (हिन्दी में)
(ii) Name of Govt. Servant (in capital letters)
2. (i) पिता/पति का नाम
(ii) Father's/Husband's Name (in capital letters)
3. (i) स्थायी पता :- ग्राम/मोहल्ला
डाकघर थाना जिला
राज्य पिन कोड मोबाईल नं.
(ii) Permanent Address (in capital letters): Vill/Moh.
Post P.S. District
State Pin Code Mobile No.
4. (i) पत्राचार का पता :- ग्राम/मोहल्ला
डाकघर थाना जिला
राज्य पिन कोड मोबाईल नं.
(ii) Address for correspondence (in capital letters): Vill/Moh.
Post P.S. District
State Pin Code Mobile No.
5. (i) अन्तिम पदस्थापन की स्थिति :- पदनाम
Status of last posting :- Designation (in English)
(ii) कार्यालय/विभाग का नाम (हिन्दी में)
Name of Office/Department (in English)
6. सेवा आरम्भ की तिथि
7. (i) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि
(ii) मृत्यु की तिथि (अगर सेवानिवृत्ति की तिथि के उपरान्त हुई हो)
8. कुल सेवा अवधि :- वर्ष माह दिन
व्यवधान की अवधि
9. अन्तिम वेतन
10. औसत वेतन
11. (i) पेंशन प्रारम्भ होने की तिथि
(ii) औपबोधक पेंशन का भुगतान किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो
(a) औपबोधक पेंशन की दर
(b) भुगतान की अवधि (दिनांक से दिनांक तक)
(iii) भुगतान की गई औपबोधक उपदान की कुल राशि रु.
12. कोषागार का नाम
(जहाँ से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं)

13. परिवार पेंशन की दशा में आवेदक का नाम एवं पूरा पता
14. मृत सरकारी सेवक के साथ सम्बन्ध
15. आवेदक की जन्म तिथि
16. ऊँचाई
17. पहचान चिन्ह
18. यदि पेंशन रूपान्तरण कराना चाहते हैं तो कितना प्रतिशत
19. सरकारी सेवक का मोबाईल नं.
20. सरकारी सेवक का यूनिफ़ॉर्म आई. डी.
- (क) जी. पी. एफ नं.
- (ख) पैन नं.
- (ग) आधार नं.
- (घ) ई-मेल

21. परिवार के सदस्यों का विवरण:

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	दिव्यांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

नोट:-

- (i) जन्म तिथि की प्रविष्टि कार्यालय प्रधान द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य के आधार पर की जायेगी।
- (ii) सरकारी सेवक द्वारा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं होने का शपथ पत्र दिया जाता है, उस स्थिति में वित्त विभागीय परिपत्र सं. 549 दिनांक 29.04.2015 में अंकित प्रावधानों के आलोक में जन्म तिथि अंकित की जायेगी।
- (iii) सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिव्यांग पारिवारिक सदस्य जीवकोपार्जन में सक्षम नहीं, का प्रमाण पत्र दिये जाने की स्थिति में ही पेंशन स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा आजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमान्य किया जाएगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

फोटोग्राफ

नोट:- (i) सेवा निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में संयुक्त फोटोग्राफ।
(ii) मृत सरकारी सेवक की दशा में उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ।

परिवार के सदस्यों का विवरण:-

क्रमांक	नाम Name	सरकारी सेवक से संबंध	जन्म तिथि	वैवाहिक स्थिति	दिव्यांगता की स्थिति (सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित बोर्ड के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1.					
2					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

आवेदक का हस्ताक्षर

सरकारी सेवक (मृत सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी) के हस्ताक्षर के तीन नमूने

1.	
2.	
3.	

हस्ताक्षर अभिप्रमाणित

(अभिप्रमाणित करने वाले राजपत्रित पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा मुहर)

घोषणा-पत्र

चूँकि (अग्रिम की स्वीकृति देने वाले सरकारी सेवक का पदनाम) ने पेंशन की राशि-सरकार द्वारा नियत करने हेतु आवश्यक जाँच पूरी होने की प्रत्याशा में मुझे औपबन्धिक रूप से प्रतिमाह

(रु० शब्दों में) की राशि की स्वीकृति दी है। मैं एतद् द्वारा अभिस्वीकार करता हूँ कि इस अग्रिम को स्वीकार करते हुए मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरी पेंशन आवश्यक औपबन्धिक जाँच पूरी होने पर पुनरीक्षित हो सकती है तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि ऐसे पुनरीक्षण पर मैं इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं करूँगा कि मुझे अभी दी जाने वाली औपबन्धिक पेंशन उस राशि से अधिक है, जिसका हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस पेंशन का हकदार मैं अन्ततः पाया जाऊँ उससे अधिक राशि लौट दूँगा।

2. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि अपनी सेवा के किसी भाग के संबंध में जो इस आवेदन-पत्र में सम्मिलित है तथा जिसके संबंध में पेंशन और उपदान का दावा इसमें किया गया है, मैंने किसी पेंशन या उपदान के लिए न तो आवेदन दिया हूँ और न इसे प्राप्त किया है तथा इस आवेदन-पत्र और इस पर दिए गए आदेश का हवाला दिए बिना आवेदन नहीं करूँगा।

3. यदि वेतन एवं भत्ते के अधिक भुगतान के कारण कोई बकाया हो अथवा वेतन दोष संबंधी यात्रा-भत्ता या स्थानान्तरण हेतु यात्रा से संबंधित अग्रिम का बकाया हो अथवा मोटरकार या साईकिल, गृह निर्माण अग्रिम अथवा आवास किराया संबंधी या कोई अन्य बकाया हो जिसकी वसूली मुझसे करनी हो, उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य होऊँगा।

सेवा-निवृत्त सरकारी सेवक/
मृत सरकारी सेवक के लाभार्थी
का हस्ताक्षर एवं पदनाम एवं विभाग/कार्यालय

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान की गणना-तालिका

1. सेवा निवृत्त/मृत सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम
2. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि
3. सेवा निवृत्ति/मृत्यु की तिथि
4. सेवा की कुल अवधि : वर्ष माह दिन
5. अन्तिम वेतन
6. औसत वेतन
7. अनुमान्य पेंशन
- (i) अन्तिम दस महीने की औसत परिलब्धि/अन्तिम परिलब्धि (जो लाभकारी हो) X वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम बीस वर्ष)
2 x 20
- (ii) वैसे सरकारी सेवक जो 01.04.2007 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो:-
औसत परिलब्धि x वास्तविक सेवा अवधि (अधिकतम 33 वर्ष)
2 x 33
8. परिवार पेंशन
साधारण दर (अन्तिम वेतन का 30%)
- वर्द्धित दर
I. अन्तिम वेतन + 2
- II. साधारण दर पर परिवार पेंशन x 2
- III. पेंशन की राशि
- (तीनों में जो कम हो)
9. उपदान की राशि
- (अन्तिम वेतन+महंगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
4
10. मृत्यु उपदान-
(क) एक वर्ष से कम की सेवा - परिलब्धि का दो गुणा
(ख) एक वर्ष से अधिक तथा पाँच वर्ष से कम - परिलब्धि का छः गुणा
(ग) पाँच वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम - परिलब्धि का बारह गुणा
(घ) बीस वर्ष से अधिक - (अन्तिम वेतन+महंगाई भत्ता) x छहमाही सेवा की अवधि
2

नोट:- (1) उपदान/मृत्यु उपदान की अधिकतम राशि रुपये 20 (बीस) लाख से अधिक नहीं होगी
(2) दिनांक 01.04.2017 से पूर्व के मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान के अनिष्पादित मामलों में उपदान, 10 (दस) लाख रुपये की अधिसीमा तक ही अनुमान्य होगा।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति

यह समाधान हो जाने के बाद कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पदनाम की सेवा संतोषजनक रही है, निम्नांकित व्यक्ति को निम्नरूपेण पेंशन/परिवार पेंशन/उपदान/मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन रूपांतरण की स्वीकृति दी जाती है:-

व्यक्ति का नाम	पता	सरकारी सेवक से सम्बन्ध	राशि	
			पेंशन	
			पारिवारिक पेंशन	
			1. साधारण दर पर	
			2. वर्धित दर पर	
			उपदान/मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान	
			पेंशन की रूपांतरित राशि	

- पेंशन/परिवार पेंशन आरम्भ होने की तिथि
- पेंशन की राशि
- परिवार पेंशन की राशि
(क) वर्धित दर- रुपये दिनांक तक
(ख) साधारण दर- रुपये दिनांक से
- मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि
- पेंशन रूपांतरण की राशि
रुपये (शब्दों में)
का रूपांतरित मूल्य रुपये (शब्दों में)
- पेंशन/उपदान/रूपांतरण की राशि का भुगतान कोषागार से किया जायेगा।
- पेंशन/उपदान की राशि का भुगतान बजट शीर्ष "2071 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि यदि पेंशन-उपदान की राशि (जैसा महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) भविष्य में उस राशि से अधिक पायी जाय जिसका नियम के अधीन पेंशन भोगी हकदार हो तो पेंशनधारी अधिक भुगतान की राशि लौटाने को बाध्य होगा। सम्बन्धित पेंशनभोगी से इस आशय की घोषणा पत्र संलग्न है।

पेंशन स्वीकृति पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

महालेखाकार का प्रमाण-पत्र और रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि (नीचे दी गई अभ्युक्तियों के अध्याधीन) श्री
..... की अर्हक सेवा वर्ष महीना दिन
सम्यक् रूप से प्रमाणित कोटि में है तथा बिहार पेंशन नियमावली
और बिहार सरकार, वित्त विभाग के ज्ञाप सं० 5285 वि०, दिनांक 26.04.51 की कडिका 2(ग) तथा बिहार सरकार,
वित्त विभाग के संकल्प सं० वि० वी० पी० ए० आर०- 12/50, 12548- वि०, दिनांक 23 अगस्त, 1950 के अधीन
अधिक से अधिक रु० प्रतिमाह तथा (अंक में)
..... रु० (एक मुश्त) पेंशन/सेवा उपदान/परिवार पेंशन और
मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति-उपदान के रूप में अनुमान्य है। गणना का सत्यापन सम्यक् रूप में अनुमान्य है। गणना का
सत्यापन सम्यक् रूप से किया गया है। पेंशन या उपदान पर
आदेय है और पेंशन दिनांक से आरंभ होगी।

बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 और 202 (1) की ओर ध्यानकृष्ट किया जाता है। चूंकि आवेदन सेवा
निवृत्ति की तिथि के बाद किया गया है, इसलिए पेंशन आवेदन की तिथि से
या सेवा निवृत्ति की तिथि से आरंभ होगी, जैसा कि मंजूरी प्राधिकारी बिहार पेंशन
नियमावली 209 के अधीन निर्देश दें।

(यदि आवश्यक न हो, तो इस कडिका को काट दें।)

महालेखाकार, बिहार
पटना।

.....
जो पदाधिकारी बिहार पेंशन नियमावली के नियम 147 के द्वारा प्राधिकृत अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं,
उनके मामले में प्रमाण-पत्र के सामान्य फारम में निम्नलिखित बातें जोड़ दें।

“उन्होंने तीन वर्षों/..... वर्षों तक के रूप में सेवा
की है और वे 1000/- रु०, 1500/- रु० के विशेष अतिरिक्त पेंशन के पात्र हैं उनकी सेवा
ऐसी रही है कि उनके मामले में रियायत की जा सकती है”।

नोट:- यदि पेंशन प्रदायी सेवा अधिकतम पेंशन के लिए पर्याप्त हो, तो प्रमाण पत्र पर..... वर्षों से
अधिक के लिए सम्यक् रूप से प्रमाणित लिख दें (उतना ही वर्ष अंकित करें जितना अधिकतम पेंशन
पाने के लिए अपेक्षित है।)

सरकारी सेवकों के अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

श्री का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र

जो का पद ग्रहण करने के लिए
 के रूप में स्थानायन रूप से काम करने के लिए *जा रहे हैं
 का कर्तव्य-ग्रहण करने

इन्होंने तारीख 20 तक के रूप में प्रतिमाह रु की दर
 से वेतन और के रूप में प्रतिमाह रु की दर से कार्यकारी
 भत्ता लिया है। इससे की गई कटौतियाँ नीचे दिखाई गई हैं।

इन्होंने ता. 20 में पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार सौंप दिया। इसे पदाधिकारी के वेतन से
 कोई भी वसूली नहीं करनी है।*
 पीठ पर लिखी वसूली

2. चालू वर्ष के आरंभ से आज तक इनके वेतन से वसूले गये आयकर का ब्यौरा पीठ पर दिया गया है।

स्थान	जिस कार्यालय में पिछली बार इनके वेतन की निकासी हुई
ता.	उस कार्यालय के प्रधान का नाम और पदनाम।

* अनपेक्षित शब्द कलम से काट दें

इसे वह कार्यालय भरेगा जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है।

श्री/श्रीमती ने इस कार्यालय में तारीख
 20 के पूर्वाह्न/अपराह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया और मेरे कार्यालय में वे जिस पद पर आये हैं,
 उनका वेतन रु है।

स्थान	जिस कार्यालय में स्थानान्तरण हुआ है उस कार्यालय के
ता.	प्रधान का नाम और पदनाम

टिप्पणी: 1. अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र इस प्रथम बिल के साथ अवश्य अनुलग्न रहे जिसमें स्थानान्तरित व्यक्ति का नाम हो।

2. अराजपत्रित सरकारी सेवकों का अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र उस कार्यालय का प्रधान देगा जिस कार्यालय को अराजपत्रित
 सहकारी सेवक छोड़ रहा हो, न कि कोषागार-पदाधिकारी और जब पदाधिकारी किसी दूसरे प्रेसीडेन्सी या राज्य में
 स्थानान्तरित किया जाए तब ऐसे अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र पर महालेखाकार के प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यदि
 वह पदाधिकारी सार्वजनिक सुविधा से भिन्न कारणों से स्थानान्तरित किया जा रहा हो, तो यह बात भी लिख दी जाए।

की जानेवाली वसूलियों का ब्योरा

वसूली रकम किस प्रकार की है

रकम..... रु.

..... किस्तों में वसूली की जाय।

छुट्टी-वेतन
इस पदाधिकारी के से कटौती की गई है।
वेतन

..... महे

..... महे

..... महे

चालू वर्ष के आरम्भ से आज तक वसूले गये आयकर का ब्योरा

महीनों का नाम	सकल रकम			वेतन या मजदूरी, अग्रिम वेतन आदि के बटलने या उसके अतिरिक्त मिलनेवाली बोनस, उपदान फॉर्म, कर्मशन, परिलब्धि या भत्ता अथवा लाभ। हरेक का अलग-अलग दिखाया जाय।	प्रविष्य निधि और अन्य निधियाँ महे कटौती	जीवन बीमा प्रीमियम महे कटौतियाँ	शुद्ध वेतन जिस पर कर की गणना की गई है।	आयकर जिसकी कटौती की गई है।	अभ्युक्ति
	वेतन, मजदूरी, वार्षिकी या पेंशन	वह अवधि जिसके लिए स्तम्भ 2 में टैल्लिखित मद का भुगतान किया।	मकान भत्ता या भाड़ा मुक्त क्वार्टर का मूल्य						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे	रु. पैसे
अप्रैल, 20									
मई, 20									
जून, 20									
जुलाई, 20									
अगस्त, 20									
सितम्बर, 20									
अक्टूबर, 20									
नवम्बर, 20									
दिसम्बर, 20									
जनवरी, 20									
फरवरी, 20									
मार्च, 20									

पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों को अद्यतन करने के संबंध में

बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र सं० वि० (27) पें० को०-72/2009 (अंश) 301/वि०

प्रेषक,

शिव शंकर मिश्र, भा० प्र० से०
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी।

पटना, दिनांक: 19.3.2019

विषय : पेंशन एवं अन्य सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु प्रचलित प्रपत्रों को अद्यतन करने के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग परिपत्र सं०-1362, दिनांक 01.12.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय परिपत्र सं० 1362, दिनांक 01.12.2015 द्वारा सेवान्त लाभ से संबंधित प्रचलित प्रपत्रों का सरलीकरण किया गया था। तत्पश्चात् निर्गत विविध परिपत्रों/संकल्पों के आलोक में इसे अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। महालेखाकार, बिहार द्वारा भी इस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त प्रचलित पेंशन प्रपत्रों को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है। अद्यतनीकृत पेंशन प्रपत्रों एवं गणना तालिका की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि यह परिपत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। भविष्य में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों को सेवान्त लाभों की स्वीकृति हेतु संलग्न प्रपत्र का ही प्रयोग किया जाय।

कृपया इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शिव शंकर मिश्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

प्राप्ति स्थान

विभागीय प्रकाशन बिक्री केन्द्र

विकास भवन (SBI ATM के निकट)

नया सचिवालय, पटना-1